न्यायालय Additional District and Sessions Judge, Court No-4/Special Judge, E.C.Act, Lucknow

पीठासीन अधिकारी– गौरव शर्मा, एच.जे.एस. यू0पी0–6276

UPLK01007122-2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3400/2026

गौरव वर्मा आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी कालुपुर, तहसील बिसवॉ, सिरसा खुर्द, पोस्ट सिरसा खुर्द, जनपद सीतापुर, उ0प्र0।

————आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य **————विपक्षी।**

अ0सं0–0403/2025
धारा–69,316(2),351(3) बीएनएस
पूर्ववर्ती 406,506 भा0दं0सं0
थानाः गुडम्बा, जनपद लखनऊ

दिनांक–18.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **गौरव वर्मा** की ओर से मु0अ0सं0–0403/2025, अन्तर्गत धारा–69,316(2),351(3) बीएनएस पूर्ववर्ती 406,506 भा0दं0सं0, थानाः गुडम्बा, जनपद लखनऊ के प्रकरण में धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा दिव्या चौधरी द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ को इस आशय की तहरीर दी गयी है कि उसकी उम्र 24 साल है। उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम से गौरव वर्मा पुत्र अज्ञात, निवासी हरीलाल नगर अतरौली (थाना–गुडम्बा) लखनऊ से हुई। उसने, उसे प्यार का झांसा देकर मु0 10,000/–रू0 तथा एक लैपटप भी ले लिया। वादिनी ने प्यार में उसे अपनी नग्न तस्वीरें भी उसे दे दी। जब वो, वादिनी से 17 सितम्बर, 2025 को मिलने आया, तब उसने, वादिनी से लैपटप ले लिया और बोला कि अगर जैसा उसने बोला, वैसा नहीं किया, तो जान से मार देगा और तस्वीरे वायरल कर देगा। उसने, वादिनी से शादी करने का वादा किया था, इसलिए वादिनी ने उसे अपनी तस्वीरें दी थी। उसका मोबाइल नंबर 9125169943/8948341091/7510010901 हैं। उसने शादी का सांझा देकर वादिनी के साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाए। अब वह शादी के लिए मना कर रहा है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने का निवेदन किया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसको उपरोक्त मामले में पीड़िता द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में झूठा फंसाया गया है। उक्त एफ.आई.आर. अपराध संख्या 403/2025, धारा 69/316(2)/351(3) बी.एन.एस. (पूर्ववर्ती 406/506 भा0दं0सं0) के अंतर्गत, थाना गुडंबा, जिला लखनऊ में दिनांक 27.09.2025 को रात 08:36 बजे दर्ज की गई थी, जिसमें पहले घटी एक घटना का उल्लेख नहीं है। वास्तव में, ऐसी कोई घटना उस तरीके से नहीं घटी है, जिस तरह से इसका वर्णन किया गया है। उसको इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता बालिग है। उसकी उम्र 24 वर्ष है और वह अपने फैसले खुद लेने के लिए परिपक्व है। पीड़िता ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है कि आवेदक ने शादी का झूठा वादा करके उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया हो। पीड़िता ने स्वयं कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदक से जान–पहचान और संबंध बनने के बाद उसे, उससे प्यार हो गया था। उसे बहलाने–फुसलाने या झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने का कोई आरोप नहीं है। वादिनी एक परिपक्व वयस्क महिला है। वह अपने बारे में अच्छी तरह से जानने में

सक्षम थी। वादिनी द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के बाद के आरोप निराधार एवं अस्पष्ट हैं। धारा 69 बीएनएस के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। बी.एन.एस. की धारा 69 के इस प्रावधान में मूलभूत तत्व पूरी तरह से इस दावे पर आधारित हैं कि आवेदक ने विवाह के झूठे बहाने से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। जांच के दौरान, पीड़िता का बयान बी.एन.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने एफआईआर के संस्करण को दोहराया। इसके बाद, पीड़िता का बयान बी.एन.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अलग–अलग आरोप लगाए, जो एफआईआर या बी.एन.एस. की धारा 180 के तहत दिए गए बयान में लगाए गए आरोपों के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रकार अभियोजन के बयान की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदक और पीड़िता ने कक्षा पाँचवीं तक साथ–साथ पढ़ाई की है। वे लखनऊ के गौराबाग स्थित जीवन धारा कॉन्वेंट स्कूल में सहपाठी थीं। आवेदक और पीड़िता दोनों ने नर्सरी कक्षा में प्रवेश लिया था और लगभग सात वर्षों तक साथ–साथ पढ़ाई की। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवेदक और पीड़िता दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक का पीड़िता से सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने में कोई कपटपूर्ण इरादा था। उसके विरूद्ध ऐसा कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है, जो पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि कर सके। आवेदक एक छात्र है। उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट है। वह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घरुआन, पंजाब से बी.टेक पाठ्यक्रम के आठवें सेमेस्टर में अध्ययनरत है। आवेदक का शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इसके अतिरिक्त, आवेदक जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक अपनी उपस्थिति दर्शाने वाली उपस्थिति शीट प्रस्तुत कर रहा है। एफआईआर सितंबर 2025 में दर्ज की गई थी, जिस दौरान वह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में नियमित रूप से बी.टेक की कक्षाएं ले रहा था। उसने सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक लगातार कक्षाएं लीं, जिसकी पुष्टि उसकी संबंधित कक्षा, अर्थात् बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) के आठवें सेमेस्टर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घरुआन, पंजाब से की जा सकती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 15.05.2026 से जेल में बंद है। वह जांच में सहयोग करने के साथ–साथ मुकदमे के सुचारू संचालन में भी सहयोग करने का वचन देता है। वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। वह न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने का वचन देता है। वह पर्याप्त और विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। उसके भाग जाने की कोई संभावना नहीं है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्संग किया गया है। वह उक्त मामले में नामजद अभियुक्त है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। उसके विरूद्ध पुष्टिकारक साक्ष्य पाये जाने के आधार पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

5. उभय पक्षों को सुना तथा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा रखे गये तर्कों के आलोक में उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर मुख्यतः पीड़िता से उसकी नग्न तस्वीरें वायरल करने व शादी करने का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का अभियोग है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों द्वारा एक समझौता विलेख भी निष्पादित किया गया था, जिसमें पक्षकारों के मध्य् आपस में समझौता होना अभिकथित है, किन्तु उक्त समझौता अंतिम रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा सं0–8 में पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 183

बीएनएसएस का उल्लेख किया गया है, जिसमें पीड़िता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विवाह का झॉसा देकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी कोई बयान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर लैपटॉप लेने का भी आरोप लगाया गया है जबकि अभियुक्त के कब्जे से **कोई लैपटॉप बरामद नहीं किया** गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सम्पूर्ण केस डायरी के अवलोकन से चूंकि मामला मुख्य रूप से शादी के वादे और आपसी सहमति के इर्द–गिर्द घूमता प्रतीत हो रहा है और पीड़िता (आयु लगभग 24 वर्ष) के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान में न तो लैपटॉप, न नग्न तस्वीरें और न ही शादी का झॉसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने सम्बन्धी साक्ष्य दिया गया है। अभियुक्त दिनांक 15.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में वर्तमान स्तर पर गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **गौरव वर्मा** का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–0403/2025, अन्तर्गत धारा–69,316(2),351(3) बीएनएस पूर्ववर्ती 406,506 भा0दं0सं0, थानाः गुडम्बा, जनपद लखनऊ के मामले में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/–रू0 (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. आवेदक/अभियुक्त गवाहों को किसी प्रकार से डरायेगा व धमकायेगा नहीं तथा विवेचना में सहयोग प्रदान करेगा।
2. दौरान विचारण आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जबकि साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं लेगा, यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनका जमानत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के समक्ष वाद के आरम्भ में, आरोप विरचित किये जाने तथा कथन अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दर्ज किये जाने हेतु नियत तिथि पर अवश्य उपस्थित रहेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त अपना मूल एवं वर्तमान पता एवं चालू मोबाइल नम्बर विवेचक/न्यायालय को उपलब्ध करायेगा। यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना/विचारण अपना मूल एवं वर्तमान पता एवं चालू मोबाइल नम्बर परिवर्तित किया जाता है तो उसका विवरण विवेचक/न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत छोड़कर विदेश यात्रा पर नहीं जायेगा।

(गौरव शर्मा)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 ऐक्ट, लखनऊ

दि0–18.06.2026